

प्रेषक,

विभागाध्यक्ष,  
राज्य विधि एवं परिसीमन आयोग,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आहरण एवं वितरण अधिकारी,  
राज्य विधि एवं परिसीमन आयोग,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

देहरादून: दिनांक: ५ सितम्बर, 2016

विषय: वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए वित्तीय स्वीकृतियाँ निर्गत किये जाने विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या 127/11/रा0वि0परि0आ0/2016-17 दिनांक 05 अप्रैल, 2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तदकम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल अनुदान संख्या 07, लेखाशीर्षक 2052-सचिवालय सामान्य सेवायें-00-आयोजनेत्तर-090-सचिवालय-16-राज्य विधि एवं परिसीमन आयोग का अधिष्ठान हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए लेखानुदान के माध्यम से स्वीकृत आय-व्ययक की कुल धनराशि 12,43,000.00 (बारह लाख तेतालीस हजार मात्र) में से रू0 1,68,269.00 (एक लाख अडसठ हजार दो सौ उन्हत्तर मात्र) का आय-व्ययक संलग्न अलोटमेन्ट आई0डी0 संख्या H1607070505 दिनांक 11 जुलाई, 2016 में दिये गये विवरणानुसार निम्न शर्त के साथ आवंटित करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. वचनबद्ध मदों में स्वीकृत आय-व्ययक सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी को इस प्रतिबन्ध के साथ उपलब्ध करा दिया जाय कि इन मदों के अन्तर्गत आहरण एवं व्यय मासिक आधार पर किश्तों में वास्तविक व्यय आवश्यकता के अनुरूप ही किया जाय एवं अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नहीं की जाय और न अधिक व्ययभार सृजित किया जाय।
2. अधिष्ठान सम्बन्धी अन्य अवचनबद्ध मदों में स्वीकृत आय-व्ययक सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी को इस प्रतिबन्ध के साथ उपलब्ध करा दिया जाय कि इन मदों के अन्तर्गत आहरण एवं व्यय किश्तों में वास्तविक व्यय आवश्यकता के अनुरूप ही किया जाय तथा अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नहीं की जाय एवं न अधिक व्ययभार सृजित किया जाय।
3. पूर्व माह के व्यय की सूचना प्रपत्र बी0एम0-08 में अंकित कर प्रतिमाह विलम्बतम 07 तारीख तक शासन को उपलब्ध करायी जाय।
4. उक्त धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय हो करने का अधिकार नहीं देते हैं जिन मामलों में बजट मैन्युवल, वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृतियाँ अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा धनराशि माहवार आवश्यकतानुसार ही आहरित की जायेगी।

5. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिसके लिए यह स्वीकृति दी जा रही है।
6. उक्त सभी मदों में धनराशि का व्यय बजट प्राविधान की सीमाओं में ही किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
13. उक्त धनराशि का उपयोग उसी निमित्त किया जाय, जिस प्रयोजन से इसे स्वीकृति दी गई है।
14. धनराशि का नियमानुसार उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाय तथा सर्वप्रथम पुराने देयकों का भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
15. उक्तवत् स्वीकृत धनराशि के व्यय में मितव्ययता के विषय में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
16. शासनादेश संख्या 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च, 2012, शासनादेश संख्या 490/XXVII(1)/2016 दिनांक 31-03-2016 एवं समय-समय पर जारी शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
17. स्वीकृत आय-व्ययक को आवश्यकतानुसार शासनादेश संख्या 183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च, 2012 में दी गयी व्यवस्थानुसार ऑन लाईन अधीनस्थ आहरण-वितरण अधिकारियों के निर्वहन में रखा जाना सुनिश्चित किया जाय।
18. उक्त पर होने वाले व्यय को चालू वित्तीय वर्ष 2016-2017 में अनुदान संख्या 07, लेखाशीर्षक 2052-सचिवालय सामान्य सेवायें-00-आयोजनेत्तर-090-सचिवालय-16-राज्य विधि एवं परिसीमन आयोग का अधिष्ठान के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,

(रमेश चन्द्र खुल्ते)  
प्रमुख सचिव

संख्या-279/XXXVI(3)/2016/68(1)/2015 दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
3. वित्त अधिकारी, केन्द्रीय भुगतान एवं लेखा कार्यालय, साईबर ट्रेजरी, 23-लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
4. वित्त अनुभाग 5, उत्तराखण्ड शासन।
5. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, डाटा सेन्टर, 23-लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
6. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. विभागीय आदेश पुस्तिका।

(रमेश चन्द्र खुल्ते)  
प्रमुख सचिव

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20162017

Secretary, Legislative & Parliamentary Affairs (4663)

आवंटन पत्र संख्या - .

अनुदान संख्या - 007

अलोटमेंट आई डी - H1607070505

आवंटन पत्र दिनांक - 11-Jul-2016

DDO Name - Mem.Sec.State Law & Delimitation Com.Dehradun (4665) , Treasury - Cyber (1200)

1: लेखा शीर्षक	2052 - सचिवालय-सामान्य सेवायें	00 -
	090 - सचिवालय	16 -
	00 -	

Non Plan Voted

मानक भद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
01 - वेतन	0	3850	3850
03 - महंगाई भत्ता	0	4165	4165
04 - यात्रा व्यय	0	1720	1720
06 - अन्य भत्ते	0	8765	8765
07 - भानदेय	0	65194	65194
08 - कार्यालय व्यय	0	29091	29091
13 - टेलीफोन पर व्यय	0	1219	1219
15 - पाइपियों का अनुरक्षण और पेदो	0	46000	46000
16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओ	0	4000	4000
19 - विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन	0	1500	1500
22 - आतिथ्य व्यय विषयक भत्ता आ	0	2765	2765
	0	168269	168269

Total Current Allotment To DDO in Above Schemes -

168269